भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4811

24 मार्च, 2021 को उत्तर देने के लिए

खनिज सरंक्षण एवं विकास संबंधी नियम

4811. श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री निशीथ प्रामाणिक:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री राजवीर सिंह (राजूभैय्या)
श्री भोला सिंह

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खानों द्वारा खनिजों की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में खनिज संरक्षण एवं विकास संबंधी नियमों में संशोधन किया है जो एक वार्षिक अनिवार्य कार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सतत विकास रूप रेखा के तहत रेटिंग हेतु देश में मुख्य खनिजों की 700 खानों के विषय में डाटा एकत्र किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या भारतीय खान ब्यूरो ने हाल ही में देश में विभिन्न खानों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली निर्धारित की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी राज-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) भारत में खान-क्षेत्र के सुदृढीकरण के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उपाय किए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री</u>

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : जी, हां। वर्ष 2019-20 के लिए 931 पट्टाधारकों ने ऑनलाइन स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट भरी है तथा खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के तहत खानों के स्टार रेटिंग के लिए आईबीएम द्वारा फील्ड निरीक्षण के माध्यम से इन रिपोर्टों का सत्यापन किया जा रहा है। निरीक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है:

रेटिंग	पट्टों की सं. (अनंतिम रेटिंग)
5 स्टार रेटिंग	197
4 स्टार रेटिंग	310
3 स्टार रेटिंग	261
2 स्टार रेटिंग	56
1 स्टार रेटिंग	90
कोई स्टार रेटिंग नहीं	17
	931

(ड.) और (च) : खान और खनिज पर 20 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय सम्मेलन (कानक्लेव) के दौरान स्टार रेटिंग हेतु वर्ष 2016-17 के लिए 57 खानों को सम्मानित किया गया। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए सम्मान अभी दिया जाना है। वर्ष 2019-20 के कार्य निष्पादन के लिए खानों की स्टार रेटिंग प्रगति पर है। सम्मान का राज्य-वार (2016-17) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	2016-17
1	आंध्र प्रदेश	1
2	बिहार	-
3	छत्तीसगढ़	7
4	गोवा	-
5	गुजरात	12
6	हिमाचल प्रदेश	-
7	झारखंड	2
8	कर्नाटक	8
9	मध्य प्रदेश	8
10	महाराष्ट्र	8
11	मेघालय	-
12	ओडिशा	1
13	राजस्थान	9
14	तमिलनाडु	1
15	तेलंगाना	-
	कुल	**57**

******